न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान जगदीश प्रसाद कस्वां बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – ...314.../2025
निर्णय दिनांक ...04.08.2025...

जगदीश प्रसाद कस्वां पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी डाबड़ी छोटी तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा डाबडी छोटी पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 98 के खसरा सं. 530/409 तादादी 1.2645 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र हरदयाल दर्ज हो गया, जो गलत है, जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का सही नाम जगदीश प्रसाद कस्वां पुत्र हरदयाल है। प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को परेशानी हो रही है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैनकार्ड आदि में नाम जगदीश प्रसाद कस्वां पुत्र हरदयाल अंकित है जो प्रार्थी का सही नाम है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा डाबडी छोटी पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 98 के खसरा सं. 530/409 तादादी 1.2645 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद कस्वां पुत्र हरदयाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवां से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र हरदयाल व जगदीश प्रसाद कस्वां पुत्र हरदयाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैनकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद कस्वां पुत्र हरदयाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र हरदयाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा डाबडी छोटी पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 98 के खसरा सं. 530/409 तादादी 1.2645 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र हरदयाल Delete कर इसके स्थान पर जगदीश प्रसाद कस्वां पुत्र हरदयाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...04.08.2025... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)